



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1530]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 21, 2015/आषाढ़ 30, 1937

No. 1530]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 21, 2015/ASADHA 30, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2015

का.आ. 2004(अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 को प्रकाशित भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 2740(अ) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, 'राज्य सरकार' शब्दों के लिए 'उपयुक्त सरकार' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. यू-11013/01/2014-यूटीएल]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2015

S.O. 2004(E).—In pursuance of clause (1) of Article 239 of the Constitution, the President hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 2740(E), dated the 21st October, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd October, 2014, namely :-

In the said notification, for the words "State Government", the words "appropriate Government" shall be substituted.

[F. No. U-11013/01/2014-UTL]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.